an>

Title: Need to include Tanti Caste in the list of Scheduled Castes.

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तॉंती जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के विÂषय में कहना चाहता हूँ।

झारखण्ड प्रदेश के कौलहान प्रमंडल, पूर्व में अविभाजित सिंहभूम जिला एवं वर्तमान तीनों जिलों- पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावॉं में रहने वाली तॉंती जाति पान जाति की पर्यायवाची है। विशुद्ध रूप से पान एवं तॉंती जाति एक ही हैं। उनकी भाषा, संस्कृति, रहन-सहन, खान-पान एवं परस्पर वैवाहिक संबंध इत्यादि शत-प्रतिशत मेल खाते हैं। अपितु, पान जाति को अनुसूचित जाति वर्ग में रखा गया है, परन्तु तॉंती जाति का उल्लेख विसंगतिवश पिछड़े वर्ग की सूची में किया गया है। पान जाति बुनकर समाज से रही है। पान जाति तॉंत के कपड़े बुनते थे। इस तरह से, कालांतर में पान जाति को तॉंती की उपाधि मिली। अंततः तॉंती यानी उपाधि को खतियान में दर्ज होने से वृहत संख्या में लोगों के साथ चुनौतीपूर्ण विसंगति खड़ी हो गई है और अनुसूचित जाति की सुविधा के हकदार होने के बावजूद उनको अनुसूचित जाति की सुविधाओं से वंचित रखा गया है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करता हूँ कि तॉंती जाति को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Kunwar Pushpendra Singh Chandel and

Shri Ashwini Kumar Choubey are permitted to associate with the issue raised by Shri Laxman Giluwa.